रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 86] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 15, 1986/चैत्र 25, 1908
No. 86] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 15, 1986/CHAITRA 25, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 87 आई.टी.सी. (पी.एन.)/85--88

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1986

विषय :---अप्रैल, 1985---मार्च, 1988 के लिए आयात एवं निर्यात नीति।

फा. सं. आई.पी.सी./4/5/244/85-88 :---वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 1-आई.टी.सी. (पी.एन.)/85-88, दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल, 1985---मार्च, 1988 के लिए मध्यावधि संशोधित आयात एवं निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. इस नीति में नीचे विनिर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :—

क्रम सं.	1985-88 की आयात-निर्यात नीति (खण्ड-1) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	10	अध्याय 3 पूंजीगत माल पैरा 38 उप-पैरा (2)	इस उप-पैरा के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "बहरहाल, प्रविष्टि सं. 1(1) के अन्तर्गत उप-प्रविष्टि संख्या (134) से (162) में दिए गए मशीनी औजारों का आयात करना निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगा :— (1) इन मशीनों का पुरानी अवस्था में आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमत नहीं होगा। (2) इन मशीनों के एन.सी./सी.एन.सी. रूपों के आयात की अनुमति भी नहीं होगी।"
2	164	परिशिष्ट-6 खुले सामान्य लाइसेंस की शर्त सं. 2 के अन्तर्गत आयातों पर लागित शर्तें	ये शर्तें निम्नलिखित अनुसार संशोधित की जाएंगी। "(2) परिशिष्ट-1, भाग ख, (प्रविष्टि सं. 1(1) के अन्तर्गत उप प्रविष्टि सं. (134) से (162) के अन्तर्गत आने वालों को छोड़कर) सूचीबद्ध पूंजीगत माल और इस परिशिष्ट में मद सं. 6 द्वारा जिस्त, फिक्शचर्स इत्यादि के मामलों में खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत पुरानी मदों का आयात भी इस नीति में दी गई शर्तों के अधीन अनुमत किया जा सकता है। प्रविष्टि सं. (1) (i) के अन्तर्गत उप-प्रविष्टि सं. (134) से (162) में दिए गए मशीनी औजारों की पुरानी अवस्था में आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन मशीनी औजारों के एन.सी./सी. एन.सी. रूपों के आयात को भी अनुमति नहीं होगी।'

3. आयात एवं निर्यात नीति में उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 87—ITC(PN)/85-88

New Delhi, the 15th April, 1986

Subject : Import and Export Policy for April 1985–March 1988.

F. No. IPC/4/5/244/85—88 :—Attention is invited to the Import and Export Policy for April 1985—March 1988, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/85-88 dated the 12th April, 1985 as amended.

2. The following amendments shall be made in the Policy at appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page No of Import & Export Policy, 1985—88 (Volume I)	Reference	Amendment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	10	Chapter III CAPITAL GOODS Para 38 Sub-para (2)	At the end of this Sub-para, the following shall be added :— "However, import of machine tools appearing Sub-Entry Nos. (134) to (162) under Entry No 1(i) will be subject to the following additional conditions :— (i) Import of these machines in second-hand condition will not be permitted under O.G.L.; (ii) NC/CNC versions of these machines will also not be permitted."
2.	164	Appendix 6 Conditions Governing Imports under Open General Licence Condition No. (2)	This condition shall be amended as under :— "(2) In the case of Capital Goods listed in Appendix 1, Part B (excluding those under Sub-Entry No. 1(134) to (162) under Entry No. 1(i)), and Jigs, fixtures etc., vide item No. 6 in this Appendix, import of second-hand items may also be allowed under OGL, subject to the conditions laid down in the policy. Import of machine tools appearing at Sub-entry No. (134) to (162) under Entry No. 1(i) shall not be allowed in second-hand condition Import of NC/CNC versions of these machine tools will also not be permitted."

3. The above amendments in the Import & Export Policy have been made in the public interest.

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1986